कार्यालय,आयोजना क्षेत्र प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

Website : https://mymmc.org., E-mail ID-mmc-muz-bih@nic.in, muzaffarpur.ulb@gmail.com, Control Room - 0621-2212647

पत्रांक– 118/आयोजना

दिनांक 23/09/2025

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र प्राधिकार
–सह–
नगर आयुक्त,
मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।

सेवा में,

जमीन मालिक–(1) श्री प्रफुल्ल विनोद वो श्री प्रकाश विनोद पिता– स्व0 राम विनोद शाही,
ग्राम– भगवानपुर, थाना–सदर
जिला– मुजफ्फरपुर
Developer- M/S Moderncity Infratech Pvt. Ltd निर्देशक– (1) श्री आलोक कुमार पिता– श्री सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, (2) श्री जितेन्द्र कुमार पिता– श्री कैलाश सिंह

विषय :– **प्लान केश संख्या– 48 /2025 G/S+4 आवासीय भवन निर्माण का नक्शा की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा प्रस्तुत भवन निर्माण नक्शा, ग्राम + मुहल्ला– भगवानपुर, जिला–मुजफ्फरपुर, अंचल– मुशहरी, थाना नं0–353, खाता सं0– 352 खेसरा सं0–795 भवन का प्रकार– G/S+4 आवासीय रकवा– 26 डी0 निर्मित क्षेत्र (Total Builtup Area) 2947.08 sqm बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007, बिहार भवन उपविधि 2014 के 315, 316, 317, 414 एवं 419 के अंतर्गत निम्न शर्त्तों पर स्वीकृति दी जाती है :–

1. बिहार भवन उपविधि 2014 के अनुसार प्रस्तावित भवन के चारों तरफ सेटबैक छोड़ा जाएगा।
2. भवन निर्माण के समय जल निकासी के प्रावधान नक्शा के अनुसार किया जाना है एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के नियमानुसार नगर निगम के नाले से भवन मालिक को ही अपने नाला को जोड़ना होगा।
3. भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जलापूर्त्ति, सेप्टिक टैंक एवं भविष्य में सिवरेज सिस्टम बिल्डिंग बायलॉज के तहत व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
4. निगम में समर्पित भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र नक्शा आदि में त्रुटि एवं गड़बड़ी की जवाबदेही स्वयं आवेदक का होगा।
5. जिन अभियंता द्वारा नक्शा बनाया गया है, भवन निर्माण के दौरान उनके सुपरविजन में कार्य कराया जाएगा जिसका समय–समय पर निगम को प्रतिवेदन देना होगा एवं भवन निर्माण पूर्ण होने पर निगम को सूचना देंगे तथा उनका प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
6. भवन के सामने सरकारी सड़क एवं नाला का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। भवन निर्माण के उपरान्त कम्पलीशन प्रमाण पत्र अभियंता के माध्यम से देना होगा।

2

7. भवन स्वामी को भवन उपविधि के अनुसार भवन के अन्दर की पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
8. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निगम को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे।
9. निर्माण स्थल को चारों तरफ से उपयुक्त सामग्री (जैसे ग्रीन नेट, टीन शेड आदि) से ढकना अनिवार्य होगा, ताकि निर्माण कार्यों से उत्पन्न धूल कणों के प्रसार तथा वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकें। यह प्रावधान राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के दिशा–निर्देशों एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, के अंतर्गत विधिसम्मत रूप से बाध्यकारी है। उक्त निर्देश की अवहेलना की स्थिति में विधिक कारवाई की जाएगी।
10. निर्माण की स्वीकृति (अनुमति पत्र) की एक स्पष्ट एवं वृहत प्रतिलिपि, न्यूनतम 3 फीट X 4 फीट आकार के फ्लेक्स बैनर पर मुद्रित कर, निर्माण स्थल के बाहर सार्वजनिक रूप से दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना होगा, ताकि प्राधिकृत स्वीकृति की जानकारी आमजन एवं निरीक्षणकर्ताओं को स्पष्ट रूप से प्राप्त हो सकें।
11. लेबर सेस कि कुल राशि–700077.00 रू0 है। जिसमें नगर विकास विभाग के पत्रांक–06/न0वि0 विविध (लेबर सेस)–20/2023, 5478 नं0वि0 एवं आ0वि0 पटना दिनांक–25.09.2023 के आलोक में कुल राशि का 1/5th 140016.00 रू0 वर्तमान में जमा किया गया है। निदेश दिया जाता है कि लेबर सेस कि शेष राशि नियमानुसार ससमय जमा करना सुनिश्चित करेगे।

उपरोक्त कार्य में बिहार भवन उपविधि 2014 के उल्लंघन पर सरकारी दण्ड के भागी भवन स्वामी होगा।

इस शर्त्त पर नक्शा स्वीकृत किया जाता है, यह स्वीकृति अगले पाँच वर्ष के लिये वैद्य होगा। किसी प्रकार के उल्लंघन/शिकायत होने पर स्वीकृत नक्शा रद्द कर दिया जाएगा एवं सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र प्राधिकार,
–सह–
नगर आयुक्त,
मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।